उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

सूचना / विज्ञप्ति

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा(डीवी / पीएसटी) की प्रकिया

संख्या–पीआरपीबी–बी(उप निरीक्षक संवर्ग)–03 / 2025 दिनांक– अप्रैल 20 ,2026

उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती–2025 की विज्ञप्ति दिनांकित 12.08.2025 एवं संगत सेवा नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुक्रम में अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निम्नवत् प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

अभिलेखों की संवीक्षा

1. अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, आयु में शिथिलता, आरक्षण श्रेणी (लम्बवत / क्षैतिज), अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा। **यह परीक्षण एक समिति द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। इस समिति का स्वरूप निम्नवत् है:–**

   क. **जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर, अध्यक्ष होगा।**

   ख. **जनपद / कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक–सदस्य**

   ग. **जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी–सदस्य**

   घ. **जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्साधिकारी –सदस्य**

   जहां विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, वहां उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा सम्बन्धित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम–निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा । नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे ।

2. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा अपलोडेड सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण–पत्र यदि निर्धारित योग्यता / मानक / नियमावली / शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

3. अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेगें।

4. अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में, आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा तथा यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्यवाही की जा सकती है।

<u>शारीरिक मानक परीक्षण</u>

1. उक्त समिति द्वारा अभिलेखों की संवीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय ही सम्पादित किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी अभिलेखों की संवीक्षा किन्ही कारणोंवश औपबन्धिक रूप से सम्पन्न की गयी है, उनका शारीरिक मानक परीक्षण औपबन्धिक रूप से इस सम्बन्ध में लिये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन सम्पन्न कराया जायेगा।
2. **पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः–**

क. ऊँचाईः–

एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

दो) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

ख. सीनाः–

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेन्टीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेन्टीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेन्टीमीटर से कम नहीं होगा।

<u>टिप्पणीः</u>–**न्यूनतम 05 सेन्टीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।**

3. **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत् हैः–**

क. ऊँचाईः–

एक) सामान्य/अन्य पिछडे वर्गो और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर है।

दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

ख. वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम वजन 40 कि0ग्रा0।

4. यदि कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से सन्तुष्ट न हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन अपील/आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त अपील/आपत्तियों के समाशोधन के लिये बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस

अधीक्षक को नोडल अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. पूर्व की भर्तियों में अथवा किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था से मापी गयी ऊँचाई व सीना की माप इस भर्ती में मान्य नहीं होगी। इस भर्ती के शारीरिक मानक परीक्षण के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा की गयी माप ही इस भर्ती में मान्य होगी।

सामान्य अनुदेश

1. अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक, समय और स्थान पर अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हो और जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेगें, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

2. यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु सम्बन्धित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुये किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिये प्रत्यावेदन दे सकता है। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित किये गये दिनांकों/रिजर्व दिवस हेतु निर्धारित दिनांक में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अन्तिम दिनांक/रिजर्व दिवस हेतु निर्धारित दिनांक के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जायेगी। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि से पूर्व देना होगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा, उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

3. परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अन्तिम रूप से असफल घोषित किये गये अभ्यर्थी को, किसी भी आधार पर, कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

4. अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
पुलिस उप महानिरीक्षक/अपर सचिव, भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।